भाग–III

हरियाणा सरकार

गृह विभाग

अधिसूचना

दिनांक 8 अगस्त, 2017

संख्या का०आ० 60/के०अ० 2/1974/धा० 2/2017 .–दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974 का केन्द्रीय अधिनियम 2), की धारा 2 के खण्ड (ध) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये, हरियाणा के राज्यपाल, इसके द्वारा, भारतीय दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1860 (1860 का अधिनियम 45) और विभिन्न स्थानीय तथा विशेष विधियों में अन्तर्विष्ट अपराधों के सम्बन्ध में, अपने पुलिस जिले के सम्पूर्ण क्षेत्र की अधिकारिता रखने वाले पुलिस जिला मुख्यालय हांसी में एक महिला पुलिस थाना बनाने की घोषणा करते हैं, जो नीचे वर्णित हैं:–

1 भारतीय दण्ड संहिता, 1860 (1860 का अधिनियम 45) की धारा 294, 304–ख, 313, 314, 315, 316, 318, 354, 366, 366–क, 366–ख, 376, 376–क, 376–ख, 376–ग, 376–घ, 376–ङ, 497, 498, 498–क, 509.

2 भारतीय दण्ड संहिता, 1860 (1860 का अधिनियम 45) की धारा 306, 317, 326–क, 326–ख, 363, 377, 494, 495, 496, यदि किसी महिला के विरुद्ध इन धाराओं के अधीन कोई अपराध किया गया है।

3. बाल विवाह अवरोध अधिनियम, 1929 (1929 का अधिनियम 19), यदि इस अधिनियम के अधीन किसी बालिका के विरुद्ध कोई अपराध किया गया है।

4. अनैतिक व्यापार (निवारण) अधिनियम, 1956 (1956 का अधिनियम 104)।

5. दहेज प्रतिषेध अधिनियम, 1961 (1961 का अधिनियम 28)।

6. सती (निवारण) अधिनियम, 1987 (1988 का अधिनियम 3)।

7. घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम, 2005 (2005 का अधिनियम 43)।

8. सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000, (2000 का अधिनियम 32) यदि किसी महिला के विरुद्ध इस अधिनियम के अधीन कोई अपराध किया गया है।

9. स्त्री अशिष्ट रूपण (प्रतिषेध) अधिनियम, 1986 (1986 का अधिनियम 60)।

10. यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण अधिनियम, 2012 (2012 का अधिनियम 32), यदि इस अधिनियम के अधीन किसी बालिका के विरुद्ध कोई अपराध किया गया है।

11. भारतीय दण्ड संहिता, 1860 (1860 का अधिनियम 45), अथवा किसी अन्य स्थानीय तथा विशेष विधि के अधीन कोई अन्य अपराध जो घटनाओं के समरूप संव्यवहार अथवा उसके आनुषंगिक भागरूप है, जो उपरोक्त वर्णित अपराधों को करने अथवा उसका कोई प्रयास/दुष्प्रेरण/षडयन्त्र करने की ओर ले जाती है।

महिला पुलिस थानों को दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973, (1974 का अधिनियम 2), के अधीन उपरोक्त सूचीबद्ध अपराधों के अन्वेषण की सभी शक्तियां होंगी। अधिकारिता वाले पुलिस थानों को उपरोक्त अपराधों के पंजीकरण तथा अन्वेषण की समवर्ती शक्तियां जारी रहेंगी।

केशनी आनन्द अरोड़ा,
अपर मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार,
गृह विभाग।

[Authorized English Translation]

HARYANA GOVERNMENT

HOME DEPARTMENT

Notification

The 8th August, 2017

No. S.O. 60/C.A. 2/1974/S.2/2017.— In exercise of the powers conferred by clause(s) of section 2 of the Code of Criminal Procedure, 1973 (Central Act 2 of 1974), the Governor of Haryana hereby declares the creation of One Woman Police Station at Police Headquarters Hansi having jurisdiction over the entire area of the Police District Hansi, in respect of offences contained in the Indian Penal Code, 1860 (Act No. 45 of 1860) and various Local and Special Laws, as mentioned hereunder :-

1. Section 294, 304-B, 313, 314, 315, 316, 318, 354, 366, 366-A, 366-B, 376, 376-A, 376-B, 376-C, 376-D, 376-E, 497, 498, 498-A, 509 of the Indian Penal Code, 1860 (Act 45 of 1860).
2. Section 306, 317, 326-A, 326-B, 363, 377, 494, 495, 496 of the Indian Penal Code, 1860, (Act 45 of 1860) if any offence under these sections is committed against a woman.
3. The Child Marriage Restraint Act, 1929, (Act 19 of 1929) if any offence under the Act is committed against a female child.
4. The Immoral Traffic (Prevention) Act, 1956 (Act 104 of 1956).
5. The Dowry Prohibition Act, 1961 (Act 28 of 1961).
6. The Commission of Sati (Prevention) Act, 1987 (Act 3 of 1988).
7. Protection of Woman against Domestic Violence Act, 2005 (Act 43 of 2005).
8. The Information Technology Act, 2000, (Act 32 of 2000) if any offence under the Act is committed against a woman.
9. The Indecent Representation of Woman (Prohibition) Act, 1986 (Act 60 of 1986).
10. The Protection of Children from Sexual Offences Act, 2012, (Act 32 of 2012) if any offence under the Act is committed against a female child.
11. Any other offence under the Indian Penal Code, 1860 (Act 45 of 1860) or any other local and special law forming part of same transaction or incidental thereto, to the events which led to commission of above mentioned offences or any attempt/abetment/conspiracy thereof.

The Woman Police Stations shall have all the powers as per the Code of Criminal Procedure, 1973 (Act No. 2 of 1974) for the investigation of offences enlisted above. Jurisdictional Police Stations shall continue to have concurrent power of registration and investigation of aforesaid offences.

KESHNI ANAND ARORA,
Additional Chief Secretary to Government Haryana,
Home Department.

55555—L.R.—H.G.P., Chd.